

## स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प-1/1/12/वि/स्था/2019/ ५६८२

दिनांक: २९/५/२०

वास्ते:-

स्वच्छ संग्रह

**विषय:-** कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच किये जाने एवं जिला आवंटन बाबत्।

**प्रसंग:-** प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग का पत्र क्रमांक प.1(1)प्रसु / अनु-3/2020 दिनांक: 16.05.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग जयपुर के प्रासंगिक पत्र के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 से चयनित अभ्यर्थियों में से 42 अभ्यर्थी (संलग्न सूची अनुसार) राजस्व मण्डल को आवंटित किये गये हैं। उक्त सूची में कम संख्या 8 पर अंकित श्री महावीर बोस रोल नम्बर 1499175 मेरिट क्रमांक 5940 को छोड़कर शेष अभ्यर्थियों के आवेदन मण्डल को प्राप्त हो गये हैं। अतः श्री महावीर बोस रोल नम्बर 1499175 मेरिट क्रमांक 5940 को छोड़कर शेष 41 अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 03.06.2020 को सुबह 11:00 बजे से 05:00 तक निम्नांकित मूल दस्तावेजात / स्वप्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों के साथ अपनी पात्रता की जांच एवं जिला आवंटन हेतु व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षकर्ता के समक्ष उपस्थित हों।

1. कक्षा 10 का मूल प्रमाण पत्र जिसमें जन्म दिनांक अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित हों।
2. कक्षा 10 से अंतिम शैक्षणिक योग्यताओं की परीक्षाओं की मूल अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र।
3. अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र
4. दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से अधिक पुराने न हो।
5. मूल निवास प्रमाण पत्र।
6. आवेदक का पहचान पत्र।
7. यदि आवेदक का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी के कारण हुआ है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का प्रमाण पत्र।
8. यदि आवेदक का चयन भूतपूर्व सैनिक के कारण हुआ है तो भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र।
9. यदि आवेदक का चयन अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है तो अनुसूचित क्षेत्र में निवासी होने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र।
10. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/ विवाह संबंधी शपथ पत्र एवं 01.06.2002 के पश्चात् 02 से अधिक संतान नहीं होने/ विधवा, परित्यक्ता महिला द्वारा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र तथा धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबद्धता (Undertaking)
11. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
12. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति किमिलियर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।

13. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदकों के मामलें में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम के साथ जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रस्तुत करें, तो ही मान्य होगा।
14. कम्प्यूटर दक्षता के संबंध में RSCIT या इसके समकक्ष अन्य कोर्स का प्रमाण पत्र।
15. समस्त अभ्यर्थी मण्डल के वेबसाईट पर अपलोड प्रपत्र— 'अ' 'ब' 'स' 'द' और " में निर्देशानुसार प्रपत्र में सूचना।
16. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त सवास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र।
17. आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन।
18. अभ्यर्थी काउंसलिंग में मास्क लगाकर आयेंगे एवं सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखेंगे तथा अपने साथ हेण्ड सेनेटाईजर रखेंगे।

A

निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: सम /

५६८३

दिनांक :- २९/५/२०

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व एस.एम.एस. द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित किया जावें।

उप निबंधक (प्रशासन)

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(3)

नियुक्ति अधिकारी राजस्व मंडल को आवंटित अध्यर्थियों की सूची (NTSP)

SNO	RANK	APPLICATION NO	ROLLNO	NAME	FATHER'S NAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL_CAT
1	307	201803972750	2082897	RAJESH JAT	BAJRANG CHAUDHARY	11 August 1999	Male	OBC		O_GEN
2	346	201804948657	2180558	SURESH CHOUDHARY	RUDA RAM JAT	7 December 1991	Male	OBC		O_GEN
3	409	201803411744	2010435	PIYUSH KUMAR	VEER SINGH	10 April 1998	Male	OBC		O_GEN
4	418	201803577458	1219990	DHARMA RAM JAT	SHARWAN LAL JAT	30 July 1995	Male	OBC		O_GEN
5	525	201806247658	2233810	SUMIT KUMAR SHARMA	RAM NATH SHARMA	18 March 1997	Male	GEN		O_GEN
6	538	201803102567	1218966	ARVIND KUMAR NEMICHAND	SATYAVEER ARYA RAMCHANDRA	17 June 1991	Male	OBC		O_GEN
7	5219	201804546996	2082572	REGAR REGAR		25 July 1998	Male	SC		O_SC
8	5940	201805051277	1499175	MAHAVIR BOSS	KHANGA RAM BOSS	29 December 1996	Male	SC		O_SC
9	6632	201803087628	2080977	PAWAN KUMAR BAIRWA	KAILASH NARAYAN BAIRWA	20 January 1998	Male	SC		O_SC
10	6939	201803621278	1421842	BHEEM SINGH GURJAR	SHRIRAM GURJAR	5 May 1995	Male	MBC		O_MBC
11	6963	201804400296	1823517	RAMKESH GURJAR	HANSRAM GURJAR	*16 August 1995	Male	MBC		O_MBC
12	7120	201804154423	1468629	MAHENDRA SINGH GURIAR	RAM SINGH GURIAR	2 February 1994	Male	MBC		O_MBC
13	7281	201804091562	1428982	GAMNA RAM DEWASI	DURGA RAM	10 September 1995	Male	MBC		O_MBC
14	8069	201803506800	2048001	RAHUL MARETHA RAVI KUMAR	GOPAL MARETHA	25 July 1995	Male	SC		O_SC
15	8141	201803432709	2081621	RAJAWAT	RAMESHWAR LAL	20 February 1995	Male	SC		O_SC
16	8298	201805169815	2035577	PRAMOD JILOWA	GIRDHAREE LAL	6 September 1996	Male	SC		O_SC
17	8334	201803032159	1865235	RAJENDER PRASAD	SAYAR LAL	7 May 1986	Male	SC		O_SC

(3)

SNO	RANK	APPLICATION NO	ROLLNO	NAME	FATHER'S NAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL_CAT
				HEMANT KUMAR KHORWAL	DAVAL KHORWAL	29 January 1992	Male	SC	O_SC	
18	8546	201803566476	1616697	ANIL CHAUKIDAR	RAMNIVASH	6 July 1999	Male	SC	O_SC	
19	8831	201804094256	1411447	SOMVEER SINGH	PARHALAD SINGH	15 December 1994	Male	SC	O_SC	
20	10180	201805194644	2341672	SURBHJI CHITTORIA	GOVIND SINGH CHITTORIA	16 July 1995	Female	SC	O_SC	
21	10343	201805221849	2155285	LOKESH MARETHA	MOHAN LAL MARETHA	6 July 1997	Male	SC	O_SC	
22	10384	201803821114	1744136	ARVIND HEERA LAL GAWARIYA	HEERA LAL GAWARIYA	15 August 1997	Male	SC	O_SC	
23	10417	201804297217	1420511	PAWAN KUMAR YADAV	HARI PRASAD YADAV	24 April 1992	Male	SC	O_SC	
24	10487	201804271541	2027909	NIVEDITA CHAUHAN	OM PRAKASH CHAUHAN	1 January 1992	Female	SC	O_SC	
25	10932	201804730642	2038135	OM PRAKASH RAIGAR	GOPAL LAL RAIGAR	1 January 1994	Male	SC	O_SC	
26	10992	201804049759	1948460	HARSHA GAUR	AMAR SINGH GAUR	26 November 1991	Female	SC	O_SC	
27	11037	201804072028	1586304	KAILASH CHAND MEENA	LAXMI NARAYAN MEENA	20 April 1993	Male	ST	O_ST	
28	11059	201805265528	1585187	AMAR SINGH MEENA	DAMODAR LAL MEENA	5 August 1992	Male	ST	O_ST	
29	11549	201805425043	1338093	OM PRAKASH VERMA	KISHAN LAL VERMA	31 December 1990	Male	ST	O_ST	
30	12480	201803594137	1948542	SURESH CHAND MEENA	MOTI LAL MEENA	3 August 1998	Male	ST	O_ST	
31	12653	201803893150	1607590	PAYAL MEENA	BHARAT LAL MEENA	9 August 1995	Female	ST	O_ST	
32	12779	201804000373	1953458	PINKY MEENA	GIRRAJ PRASAD MEENA	1 July 1992	Female	ST	O_ST	
33	13062	201804221691	1952321							
34	13638	201805311798	1699845	KULDEEP MEENA		3 September 1997	Male	ST	O_ST	

(15)

SNO	RANK	APPLICATION NO	ROLLNO	NAME	FATHER'S NAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL_CAT
				MANGAL CHAND MEENA	BADRI NARAIN MEENA	5 December 1989	Male	ST		O_ST
35	13794	201802936462	1698885							
36	13876	201804425252	1366187	DHANRAJ MEENA	LADDU LAL MEENA	16 June 1995	Male	ST		O_ST
37	14099	201803503937	2376379	TILAK RAM MEENA	MUKUT BIHARI MEENA	7 June 1995	Male	ST		O_ST
38	14505	201804508446	1856710	PRADEEP MEENA	RAMKISHAN MEENA	8 April 1987	Male	ST		O_ST
				MAHENDRA KUMAR MEENA	RAJU LAL MEENA	13 May 1997	Male	ST		O_ST
39	14531	201803418960	1610853	SATVENDRA MEENA	MURLIDHAR MEENA	20 April 1991	Male	ST		O_ST
40	15012	201803801350	2247871	PRIYA MEENA	MOTI LAL MEENA	15 July 1994	Female	ST		O_ST
41	15014	201804005962	1967882		DAYARAM MEENA	3 May 1992	Male	ST		O_ST
42	15032	201804370693	1368005							

(8)

परिशिष्ट-'आ'

1	सैकण्डरी	
2	सीनियर सैकण्डरी	
3	स्नातक	
4	अधिस्नातक	
5	अन्य योग्यता	
6	कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र	
7	जाति प्रमाण पत्र	
8	अन्तिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र	
9	दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (6 माह से पूर्व की तिथि का न हो) शिक्षण स्थान के अधिकारियों के मान्य नहीं	
10	विवाह शपथ पत्र (प्रमाण पत्र हो तो सत्यापित प्रति) – परिशिष्ट-ब	
11	01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने/न होने का शपथ पत्र परिशिष्ट-स	
12	दहेज न लेने का शपथ पत्र – परिशिष्ट-द	
13	पत्र व्यवहार का पता	
14	मूल निवास प्रमाण पत्र	
15	पते का प्रमाण पत्र, यथा-बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल, आधार कार्ड, वाहन लाइसेंस	

परिशिष्ट-ब'

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सुदृष्टि करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

(विवाह शपथ-पत्र)

प्रपत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती ..... निवासी ..... शपथपूर्वक  
बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री ..... निवासी .....  
..... के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व  
दिनांक ..... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री ..... निवासी ..... के साथ दिनांक .....  
..... को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं ..... अविवाहित हूँ।

या

मैं ..... विधुर/विधवा हूँ (पत्नि/पति श्री/श्रीमती .....  
....)

या

मैं तलाकशुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री ..... के साथ दिनांक .....  
को सम्पन्न हुआ था।

हस्ताक्षर  
शपथकर्ता

## परिशिष्ट-स'

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

(संतान शपथ—पत्र)  
घोषणा पत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.6.2001 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है, प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... रोल नं. .... है,  
लिपिक ग्रेड—ा, भर्ती परीक्षा, 2013 में लिपिक ग्रेड—ा के पद पर अभिस्तावित हुआ/हुई हूँ।

3. दिनांक 31.5.2002 तक मेरे बच्चों की संख्या ..... थी।

क्र.सं.      नाम      जन्म तिथि

4. दिनांक 01 जून, 2006 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

दिनांक 1 जून, 2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या ..... है।

क्र.सं.      नाम      जन्म तिथि

## अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम : .....

पद : लिपिक ग्रेड—ा

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर के

नाम:

पद मय मोहर:

५

परिशिष्ट-८

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पत्तिक से प्रमाणित करायें  
विवाहित अम्बर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला  
घोषणा-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....  
निवासी .....

..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि राजस्थान  
लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-ग, संयुक्त भर्ती परीक्षा-2013 में लिपिक  
ग्रेड-ग के पद पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह दिनांक ..... को हुआ। विवाह के समय मेरे घर वालों ने न  
तो दहेज लिया है/न ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी  
पत्ति एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती  
है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता यथा संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक  
(ख-१) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी  
जिम्मेदार रहूँगा।

(नाम-.....)  
घोषणा-कर्ता

स्थान :-.....

दिनांक :-.....

साक्षी

ससुराल पक्ष पिता की ओर से

1. हस्ताक्षर ..... 1. हस्ताक्षर .....

नाम ..... नाम.....

पता ..... पता.....

2. हस्ताक्षर ..... 2 हस्ताक्षर .....

नाम ..... नाम.....

पता ..... पता.....

परिशिष्ट-द

ल.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावे  
**अधिवाहित अध्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला**  
**घोषणा-पत्र**

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री.....  
 निवासी .....

..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे  
 राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-गा, संयुक्त भर्ती परीक्षा-2013 में  
 लिपिक ग्रेड-गा के पद पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या मेरे घर वाले  
 ना तो दहेज लेंगे/ना ही देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नि एवं  
 ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी  
 नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं प्रार्थी  
 जिम्मेदार रहूँगा।

(नाम-.....)  
 घोषण-कर्ता

स्थान :-.....

दिनांक :-.....

साक्षी

1. हस्ताक्षर ..... 1. हस्ताक्षर .....

नाम ..... नाम.....

पता ..... पता.....

## यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :—

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है । अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है ।
2. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन(Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी ।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार सम्मालना होगा ।
4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, कनिष्ठ लिपिक(लिपिक ग्रेड—ा) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी ।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी ओबीसी. एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159/ दिनांक: 09.09.2015, पत्रांक 63606—726 दिनांक:20.10.2015, एवं प011(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्यअवि/ 2011/68999—69032 जयपुर दिनांक: 11.11.2016 में वर्णित दिशा—निर्देशों के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी ।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम डिवीजन) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05दिनांक 13.03.2006 व नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के तहत जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम—16 व परिशिष्ट—iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे । यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गयी एस.एल.पी.25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा ।
7. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी ।
8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा ।
9. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड—ा के पद की पे—मैट्रिक्स लेवल संख्या—5 में नियमानुसार वेतन व उस पर अन्य भत्ते देय होंगे ।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुंगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
11. संबंधित अभ्यर्थी का पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा । कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का शपथ—पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व—वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार विभाग को होगा ।
12. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं । प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार उनकी सेवायें समाप्त कर सकेगी ।
13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है । अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी ।
14. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्मालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
15. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा । नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा ।
16. परिवीक्षा अवधि में सामान्य प्रावधारी निधि व राज्य बीमा की कटौती नहीं की जावेगी
17. राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम लागू नहीं होकर अंशदारी पेंशन योजना लागू होगी ।
18. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या: एफ—7(1) कार्मिक/क—2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात किसी भी समय दो से अधिक बच्चे होने पर इन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।
19. उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक: एफ—6(4) वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 1970 के प्रावधान लागू नहीं होंगे एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ—6(5) वित्त/नियम/99दिनांक: 27.07.2004 के अनुसार मेडिकल बीमा योजना लागू होगी ।
20. यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे ।